



प्रेस विज्ञप्ति

7.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सेवाली देवी शर्मा, एसीएस, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सह निदेशक ओडीएल सेल, असम सरकार और अन्य के मामले में 6.40 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने श्रीमती के खिलाफ सतर्कता पुलिस स्टेशन, सीएम की विशेष सेल, असम द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। सेवाली देवी और अन्य आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत, सरकारी फंड 105.76 करोड़ रुपये (लगभग) का दुरुपयोग किया।

ईडी जांच से पता चला कि ओडीएल सेल, एससीईआरटी, असम के कार्यकारी अध्यक्ष-सह-निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल (2017-2021) के दौरान, श्रीमती सेवाली देवी शर्मा ने अनधिकृत रूप से 347 अध्ययन केंद्रों को मंजूरी दी और सरकार की प्राथमिक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा (डीईएलएड) के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), नई दिल्ली के तहत केवल 59 अध्ययन केंद्रों और 27,897 प्रशिक्षुओं के लिए मंजूरी दूरस्थ माध्यम से कार्यक्रम के खिलाफ 1,06,828 प्रशिक्षुओं को नामांकित किया।

नतीजतन, उसने अनधिकृत रूप से नामांकित प्रशिक्षुओं से शुल्क में 115.12 करोड़ रुपये एकत्र किए। बाद में उसने अपने स्वयं के प्राधिकरण के तहत ओडीएल सेल के नाम पर पांच बैंक खाते खोले और असम सरकार की शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत किसी भी वित्तीय शक्तियों के साथ निहित नहीं होने के बावजूद, सरकारी खजाने में एकत्र शुल्क जमा करने में विफल रही।

आगे की जांच में स्थापित किया गया कि श्रीमती सेवली देवी शर्मा और उनके सहयोगियों ने ओडीएल सेल के खातों से धन को अपने व्यक्तिगत खातों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों को स्थानांतरित करके हेराफेरी और निकासी की। इसके बाद हेराफेरी किए गए फंड का उपयोग उनके नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया गया था।

आगे की जांच चल रही है।